जे.एन.एन.यू.आर.एम.

जवाहर लाल नेहरू
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

बेहतर नगरों के लिए ...

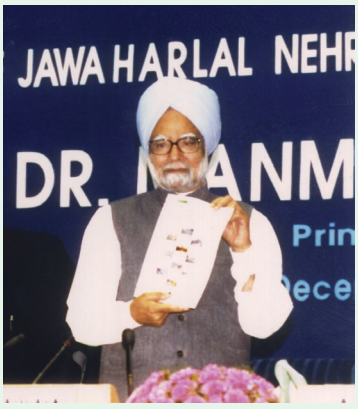

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) हेतु दिशानिर्देश

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) हेतु दिशानिर्देश

दिसंबर, 2005

बीएसयूपी

1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बी एस यू पी) हेतु उप-मिशन की आवश्यकता

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 285.35 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं । यह देश की कुल आबादी का 27.8% है । स्वातंत्रयोत्तर काल में भारत की आबादी में तिगुनी वृद्धि हुई है जबकि शहरी आबादी में पाँच गुणा वृद्धि हुई है । बढ़ती हुई शहरी आबादी के कारण शहरी गरीबों की संख्या में भी वृद्धि हुई है । वर्ष 2001 के आकलन के अनुसार स्लम आबादी के 61.8 मिलियन होने का अनुमान है । स्लमवासियों की हमेशा बढ़ती संख्या से शहरी बुनियादी सेवाओं तथा अवस्थापना पर अत्यधिक दबाव पड़ता है । तेजी से हुई शहरी वृद्धि के परिणामस्वरूप पैदा हुई बड़ी समस्याओं से निबटने के लिए चुनिंदा शहरों में मिशन मोड पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक सुसंगत शहरी करण नीति/कार्यनीति बनाना आवश्यक हो गया है ।

2. मिशन का विवरण

शहरी अवस्थापना/सेवा प्रदायगी तंत्र में कार्य कुशलता, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेवारी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पहचान किये गये शहरों का सुधारमूलक, त्वरित नियोजित विकास ।

3. मिशन कार्यनीति

3.1 प्रत्येक चुने गए नगर के लिए 20-25 वर्षों के लिए (जो प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन किया जाएगा) नियोजित शहरी परिपेक्ष्य ढांचा तैयार किया जाएगा जिसमें धनराशि की आवश्यकता पूरी करने की नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं का विवरण दिया जाएगा । इस परिप्रेक्ष्य योजना के बाद विकास प्लान तैयार किए जाएंगें जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष की योजनावधि के लिए सेवाओं सहित भू-उपयोग को शहरी परिवहन तथा पर्यावरण प्रबंध के साथ एकीकृत किया जाएगा । इस संदर्भ में शहर को मिशन राशि लेने से पूर्व नगर विकास योजना (सीडीपी) तैयार करनी होगी ।

3.2 चुनिन्दा क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरु करने के लिए शहरों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होंगी ।

3.3 शहरी अवसंरचना के विकास, प्रबंध और वित्त प्रबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाएगा ।

3.4 चुने गए शहरों के लिए धनराशि नामित राज्य नोडल एजेंसी को जारी की जाएगी जो बदले में राज्य सरकार, अपनी स्वयं की राशियों, कार्यान्वयन एजेंसियों की राशियों और वित्तीय संस्थानों/निजी क्षेत्र/पूंजी बाजार की राशियों और विदेशी सहायता से अतिरिक्त संसाधन जुटाएगें । मिशन के तहत सृजित विभिन्न परिसंपत्तियों के परिचालन और रखरखाव के लिए एक आवर्ती कोष का गठन किया जाएगा ।

4. मिशन के लक्ष्य

4.1 मिशन के तहत शामिल नगरों में शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के समन्वित विकास पर अधिक बल देना ।

4.2 शहरी गरीबों के लिए किफायती कीमतों में टेन्योर की सुरक्षा, बेहतर आवास, जलापूर्ति, सफाई सुविधा सहित बुनियादी सेवाओं का प्रावधान और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की पहले से विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना । इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि शहरी गरीबों को उनके व्यवसाय स्थल के समीप आवास मुहैया कराया जाए।

4.3 परिसंपत्ति सृजन और परिसंपत्ति प्रबंध के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना ताकि शहरी गरीबों हेतु नगरों में सृजित अवसंरचना सेवाओं के सही ढंग से रखरखाव के अलावा ये सेवाएं समय के साथ-साथ स्वपोषित भी बन सकें ।

4.4 शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश सुनिश्चित करना ।

4.5 शहरी गरीबों के लिए उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को बढ़ाना।

5. मिशन की अवधि

मिशन की अवधि वर्ष 2005-06 से आरम्भ होकर सात वर्ष होगी । इस अवधि के दौरान मिशन चुनिंदा शहरों का सुस्थिर विकास सुनिश्चित करेगा । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरु होने से पूर्व मिशन के कार्यान्वयन के अनुभव का मूल्यांकन किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो कार्यक्रम को अंशाकित किया जा सकता है ।

6. मिशन कार्यक्रम का दायरा

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप-मिशन का मुख्य उद्देश्य आश्रय, बुनियादी सेवाओं तथा अन्य संगत नागरिक सुविधाओं के प्रावधान की परियोजना के मार्फत स्लमों का समेकित विकास करना होगा ताकि शहरी गरीबों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके ।

7. मिशन के घटक

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप-मिशन में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगाः

(क) स्वीकार्य घटकः

(i) स्लमों का समेकित विकास अर्थात्, चुने गए शहरों के स्लमों में आवास तथा अवस्थापना परियोजनाओं का विकास करना ।

(ii) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के विकास/सुधार/रखरखाव वाली परियोजनाएं

(iii) स्लम सुधार तथा पुनर्वास परियोजनाएं

(iv) जल आपूर्ति/सीवरेज/जल निकासी, समुदाय शौचालय/स्नानघरों इत्यादि से संबंधित परियोजनाएं ।

(v) स्लमवासियों /शहरी गरीबों/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों हेतु किफायती लागत पर मकान ।

(vi) नालियों/बरसाती पानी की नालियों का निर्माण एवं सुधार ।

(vii) स्लमों का पर्यावरणीय सुधार एवं ठोस कचरा प्रबंधन ।

(viii) पथ प्रकाशन ।

(ix) नागरिक सुविधाएं, यथा समुदाय हाल, बाल देखभाल केन्द्र इत्यादि ।

(x) इस घटक के अंतर्गत सृजित संपत्तियों का प्रचालन व रखरखाव ।

(xi) शहरी गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का एकीकरण।

नोट : पूर्वोत्तर राज्यों अथवा/और पर्वतीय राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू व कश्मीर में स्कीमों/ परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के अर्जन हेतु वित्त पोषण को छोडकर भूमि की लागत का वित्तपोषण नहीं किया जाएगा ।

(ख) अस्वीकार्य घटक

निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा :-

(i) ऊर्जा

(ii) दूरसंचार

(iii) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम एवं स्टाफ घटक

(iv) नए रोजगार अवसरों का सृजन

नोटः- मिशन के तहत वित्तपोषण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करनी होंगी जिसमें विशिष्ट परियोजना घटक अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा शामिल है । तथापि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का वित्तपोषण संबंधित क्षेत्रों की स्कीमों और कार्यक्रमों (स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा श्रम आदि) के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधानों को मिलाकर किया जाएगा लेकिन शहरी गरीबों के संबंध में शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी भी की जाएगी ।

8. उप-मिशन की व्याप्ति

8.1 इस उप मिशन के अन्तर्गत सभी शहरों और कस्बों को लेने में संसाधनों की कमी और प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए निम्नलिखित मानकों/ मानदंडों के अनुसार केवल चुनिन्दा शहरों को लिया जाएगा ।

	श्रेणी		**संख्या**
	क	2001 की जनगणना अनुसार 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर	07
	ख	एक मिलियन से अधिक लेकिन 4 मिलियन से कम आबादी वाले शहर	28
	ग	चुनिन्दा शहर (धार्मिक/एतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण)	28

8.2 इन शहरों की सूची **अनुलग्नक-क** में है ।

8.3 राष्ट्रीय संचालन दल राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर श्रेणी ग (राज्य राजधानियों से भिन्न) के तहत शहरों/कस्बों को शामिल करने अथवा हटाने पर विचार कर सकता है । तथापि मिशन के तहत शहरों की संख्या लगभग वही अर्थात 63 रहेगी ।

9. सुधारों की कार्यसूची

9.1 शहरी नवीकरण की संशोधित कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य है शहरी प्रशासन में सुधार सुनिश्चित करना है ताकि बढ़ी हुई साख और नए कार्यक्रमों तथा सेवाओं का विस्तार शुरू करने के लिए बाजार की पूंजी प्राप्त करने की क्षमता के साथ शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और पैरा स्टेटल एजेंसियां वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो जाएं । इस बेहतर परिप्रेक्ष्य में, विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी-निजी सहभागिता माडल भी व्यवहार्य हो जाएगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों तथा पैरा स्टेटल एजेंसियों द्वारा सुधारों की कार्यसूची का कार्यान्वयन स्वीकृत करना अपेक्षित होगा । प्रस्तावित सुधार की मुख्यतः दो श्रेणियां होंगीः -

(i) अनिवार्य सुधार
(ii) एच्छिक सुधार

9.2 अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों की सूची **अनुलग्नक-ख** में है ।

9.3 राष्ट्रीय संचालन दल अभिज्ञात सुधारों में अतिरिक्त सुधार जोड़ सकता है ।

10. समझौता ज्ञापन (एमओए)

राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल पहचान किए गये सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन का निष्पादन करेंगे। समझौता ज्ञापन में सुधार की प्रत्येक मद के संदर्भ में प्राप्त किये जाने वाले विशिष्ट मील पत्थरों का उल्लेख होगा । केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना एक आवश्यक शर्त है । इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के साथ प्रस्तुत किया जाएगा । केन्द्रीय सहायता सुधार प्लेटफार्म के लिए सहमति व्यक्त करने वाली राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटलों को केन्द्रीय सहायता मुहैया होगी ।

11. एनयूआरएम के तहत राष्ट्रीय संचालन दल

मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समूह गठित किया जाएगा । राष्ट्रीय संचालन दल का गठन इस प्रकार होगाः-

राष्ट्रीय संचालन दल

शहरी विकास मंत्री	-	अध्यक्ष
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री	-	सह-अध्यक्ष
सचिव (यूईपीए)	-	सदस्य
सचिव, योजना आयोग	-	सदस्य
सचिव (व्यय)	-	सदस्य
राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार	-	सदस्य
सचिव (यूडी)	-	सदस्य-संयोजक

11.2 राष्ट्रीय संचालन दल श्रेणी ग (राज्य की राजधानियों के अलावा) के अंतर्गत शहरों/कस्बों को जोड़ सकता है अथवा कम कर सकता है । तथापि, इस मिशन के अंतर्गत शहरों की कुल संख्या लगभग वही रहेगी ।

11.3 बीएसयूपी उप मिशन के अंतर्गत शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी।

12. मिशन निदेशालय

परियोजना प्रस्तावों पर तत्परता से कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ कुशल समन्वयन सुनिश्चित करने हेतु शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत संयुक्त सचिव के अधीन एक मिशन निदेशालय होगा । मिशन निदेशालय के प्रभारी संयुक्त सचिव को मिशन निदेशक कहा जाएगा । राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार को भी मिशन निदेशालय से सम्बद्ध किया जायेगा ।

13. परियोजनाओं का मूल्यांकन

13.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ऐसे प्रस्तावों को रखने से पूर्व मंत्रालय के तकनीकी स्कंधों या बाहर की विशेषज्ञ/तकनीकी एजेंसियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की जाएगी ।

13.2 बीएसयूपी उप मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत के आधार पर शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय समय पर यथा संशोधित दिनांक 21.12.2002 के का.ज्ञा.सं. 1(26) ई.।।(ए)/2002 में यथा संकल्पित सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन सुनिश्चित करेगा ।

14. मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति

14.1 पहचान किए गए राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय में एक केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति होगी, जिसमें निम्न शामिल होंगेः-

सचिव (श0रो0 और ग0उ0)	-	अध्यक्ष
सचिव (शहरी विकास)	-	सदस्य
प्रधान सलाहकार(एचयूडी), योजना आयोग	-	सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार	-	सदस्य
मुख्य आयोजक, टीसीपीओ	-	सदस्य
सलाहकार, सीपीएचईईओ	-	सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको	-	सदस्य
संयुक्त सचिव (यूईपीए)	-	सदस्य-सचिव

14.2 आवासीय और अवस्थापना विकास, बुनियादी सेवाओं तथा अन्य संगत नागरिक सुविधाओं की परियोजनाएं मंजूर करने में समिति प्राथमिकता निर्धारित करेगी ।

14.3 निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली परियोजनाओं को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं से ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि इससे प्राईवेट पूंजी जुटाने तथा कार्य में कुशलता लाने में मदद मिलेगी ।

15. परामर्शदात्री समूह

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर, मिशन/उप मिशन के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया जाएगा । समूह का अध्यक्ष तकनीकी सलाहकार होगा जो शहरी शासन में सुधार के लिए सामूहिक कार्रवाई करने में परीक्षित अनुभव वाले नागरिक समाज से लिया गया होगा । समूह मिशन के लिए पहचान किए गए प्रत्येक शहर में समान स्वैच्छिक तकनीकी दल बनाने के लिए मिशन को सक्षम बनाएगा । यह निजी क्षेत्र की भागीदारी, नागरिक अपेक्षा को शहरी शासन में निचले स्तर पर तथा नगरपालिका शासन में पारदर्शिता में प्रोत्साहित करेगा ।

16. राज्य स्तरीय संचालन समिति

राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन कार्यक्रम में परियोजनाओं का निर्णय लेने एवं उनकी प्राथमिकताओं को शामिल करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:-

i.	राज्य का मुख्य मंत्री/ मंत्री शहरी विकास/ राज्य का आवास मंत्री	-	अध्यक्ष
ii.	मंत्री शहरी विकास/ राज्य का आवास मंत्री	-	उपाध्यक्ष
iii.	संबंधित मेयर/शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्ष	-	सदस्य
iv.	संबंधित सांसद/विधायक	-	सदस्य
v.	राज्य सरकार का वित्त सचिव	-	सदस्य
vi.	राज्य सरकार का सचिव(पीएचई)	-	सदस्य
vii.	सचिव (म्युनिसिपल प्रशासन/कार्य)	-	सदस्य
viii.	राज्य सरकार का सचिव (आवास)	-	सदस्य
ix.	सचिव(शहरी विकास)/एलएसजी/नगरपालिका कार्य	-	सदस्य-सचिव

17. नोडल एजेंसी

स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा पदनामित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा । नोडल एजेंसी इसके साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेगी :-

क. शहरी स्थानीय निकायों/अर्द्ध राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का मूल्यांकन करना

ख. जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत केन्द्र सरकार से सहायता मांगने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति की मंजूरी प्राप्त करना

ग. केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों का प्रबंधन करना ।

घ. शहरी स्थानीय निकायों/अर्द्ध राज्य स्तरीय एजेंसियों को या तो अनुदान, या सुलभ ऋण या अनुदान सह ऋण के रूप में निधियां जारी करना ।

ड. आवर्ती निधि का प्रबंधन करना ।

च. स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग करना ।

छ. एम.ओ.ए. में यथाकृत सुधारों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करना ।

18. आवर्ती निधि

शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं (बी.एस.यू.पी.) पर आधारित उप मिशन के अंतर्गत जहां कहीं राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी सुलभ ऋण या अनुदान सह ऋण के रूप में कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को केन्द्रीय तथा राज्य निधियां जारी करती है, यह सुनिश्चित करेगा कि जारी की गई निधियों का निम्नतम 10 प्रतिशत नोडल एजेंसी द्वारा वसूली जाती है तथा आवर्ती निधि में जमा की जाती तथा अनुरक्षित की जाती है । इस निधि का उपमिशन के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन तथा अनुरक्षण खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा । मिशन अवधि की समाप्ति पर, आवर्ती निधि को राज्य मौलिक सेवाओं से शहरी गरीब निधि में बदल दिया जा सकता है ।

19. वित्तीय पैटर्न

19.1 मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तीय प्रबंधन निम्नवत होगा:-

शहरों की श्रेणी	अनुदान केन्द्रीय अंश	लाभार्थी अंशदान सहित राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/ अर्द्ध राज्य स्तरीय हिस्सा
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर	50%	50%
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक किन्तु 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर	50%	50%
पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर के शहर/कस्बे	90%	10%
अन्य शहर	80%	20%

नोट : प्रतिशत कुल परियोजना लागत आधार पर है ।

19.2. उपर्युक्तानुसार केन्द्र सहायता जेएनएनयूआरएम के तहत मिलने वाली अधिकतम सहायता होगी । मिशन के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता प्रयोग बाजार पूंजी यदि और जहां कहीं आवश्यक होगा, को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा ।

20. राज्य हिस्सों को जुटाना

20.1 यदि आवश्यक हो तो, कार्यान्वयन एजेंसियों के आंतरिक संसाधनों, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास तथा विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों को संस्थागत वित्त या राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/अर्द्ध राज्य स्तरीय हिस्से से प्रतिस्थापित की जा सकती है । तथापि, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास/विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि लाभार्थी अंशदान को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे ।

20.2 यदि किसी मिशन परियोजना को भी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) के रूप में अनुमोदित किया जाता है तो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना धनराशि को एसीए के जरिये राज्य सरकार को राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/वित्तीय संस्थानों द्वारा अंशदान की गई धनराशि के रूप में दिया जा सकता है तथा मिशन धनराशि का भारत सरकार के अंशदान के रूप में उपयोग किया जा सकता है ।

21. लाभार्थी अंशदान

21.1 राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थियों को आवास निःशुल्क नहीं दिया जाना चाहिए । लाभार्थी अंशदान कम से कम 12 प्रतिशत होना चाहिए और यह अंशदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ी जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग तथा अन्य कमजोर वर्गों के मामले में 10 प्रतिशत होगा ।

21.2 शहरी विकास योजना तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर्स) तैयार करने, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) के लिए मिशन के अंतर्गत शहरों के लिए अनुदान (केन्द्र तथा राज्य) का 5 प्रतिशत या वास्तविक आवश्यकता, जो कम हो, का प्रावधान किया जाएगा ।

21.3 इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा अनुदान (केन्द्रीय और राज्य) के पांच प्रतिशत से अनधिक अथवा वास्तविक आवश्यकता, जो भी कम हो का उपयोग प्रशासनिक तथा अन्य खर्चों के लिए किया जाएगा ।

22. निधियों को जारी करना

निधियों को शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा यथासंभव चार किस्तों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में (केन्द्रीय भागीदारी के बारे में 100 प्रतिशत अनुदान) राज्य सरकार या इसके पदनामित राज्य स्तरीय एजेंसियों को जारी किया जाएगा । एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 25 प्रतिशत की पहली किस्त जारी की जाएगी । केन्द्रीय निधि के 70 प्रतिशत तक का उपयोग प्रमाणपत्र होने तथा राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल अंश तथा समझौता ज्ञापन में यथा परिकल्पित राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सहमत मील के पत्थरों को पाने पर सहायता की शेष राशि यथासंभव तीन किस्तों में जारी की जायेगी ।

23. राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के परिणाम

सात वर्षों की मिशन अवधि के पूरे होने पर यह उम्मीद की जाती है कि शहरी स्थानीय निकाय/ पैरा स्टेटल निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करेंगेः-

- सभी शहरी सेवाओं और शासन कार्यों के लिए आधुनिक और पारदर्शी बजट, लेखांकन, वित्तीय प्रबंध प्रणाली डिजाइन की जा चुकी होगी तथा अपना ली गई होगी ।
- आयोजना और शासन के लिए पूरे शहर के लिए कार्य ढांचा स्थापित किया जायेगा तथा यह प्रचालित हो जायेगा ।
- सभी शहरी गरीब लोग बुनियादी स्तर की शहरी सेवाऐं प्राप्त कर सकेंगे ।
- बड़े राजस्व दस्तावेजों में सुधार लाकर शहरी शासन और सेवा आपूर्ति के लिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर एजेंसियां स्थापित की जायेगी ।
- स्थानीय सेवाएं और शासन इस प्रकार संचालित किया जायेगा जो कि नागरिकों के लिए पारदर्शी और जिम्मेदार हो ।
- ई-गवर्नेन्स अनुप्रयोगों को शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यों में शुरु किया जायेगा जिससे सेवा आपूर्ति प्रक्रियाओं की लागत और समय में कमी आयेगी ।

24. मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी

कार्यकलापों में सामंजस्य और अंशांकन के लिए ग्यारहवीं योजना में उनहें जारी रखने से पूर्व मिशन के तहत अनुभवों का मूल्यांकन किया जाएगा । मिशन का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालय के बजट के तहत अनुदान का 5 प्रतिशत निर्धारित करने का प्रावधान होगा ।

- शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय स्कीम की आवधिक रूप से निगरानी करेगा ।
- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजेगी ।
- परियोजना के पूरा होने पर राज्य सरकार के माध्यम से नोडल एजेंसी इस संबंध में पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
- केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति मिशन के अंतर्गत स्वीकृति परियोजनाओं की प्रगति की स्वीकृति और समीक्षा/निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार बैठक कर सकती है ।
- सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी बाहर की विशेषज्ञता प्राप्त/तकनीकी एजेंसियों से कराई जा सकती है ।

****

अनुलग्नक - क

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप मिशन के अन्तर्गत चुने गए शहरों/शहरी समूहों की सूची

क्र.सं.	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम	आबादी (लाख में)
क.	**मेगा शहर/शहरी समूह**		
1	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	57.42
ख)	**दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर/शहरी समूह**		
1	पटना	बिहार	16.98
2	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4	लुधियाना	पंजाब	13.98
5	जयपुर	राजस्थान	23.27
6	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10	कोचीन	केरल	13.55
11	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13	अमृतसर	पंजाब	10.03
14	विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश	13.45
15	वडोदरा	गुजरात	14.91
16	सूरत	गुजरात	28.11
17	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19	कोयमबटूर	तमिलनाडु	14.61
20	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22	जमशेदपुर	झारखण्ड	11.04
23	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश	10.39

26	राजकोट	गुजरात	10.03
27	धनबाद	झारखण्ड	10.65
28	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40
ग)	**दस लाख से कम आबादी वाले चुने गए शहर/शहरी समूह**		
1	गुवाहाटी	असम	8.19
2	इटानगर	अरूणाचल प्रदेश	0.35
3	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12
4	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5	पणजी	गोवा	0.99
6	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7	राँची	झारखण्ड	8.63
8	तिरूवन्तपुरम	केरल	8.90
9	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10	शिलाँग	मेघालय	2.68
11	आइजवाल	मिजोरम	2.28
12	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13	बुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17	बोध गया	बिहार	3.94
18	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19	पुरी	उड़ीसा	1.57
20	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23	पोंडिचेरी	पोंडिचेरी	5.05
24	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
27	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
28	नान्देड	महाराष्ट्र	4.31

विधानमंडल सहित सभी राज्यों की राजधानियों तथा दो संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ।

नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप राज्य की राजधानियों के अलावा श्रेणी ग के अंतर्गत शहर/कस्बों को जोड़ सकता है/कम कर सकता है । तथापि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत श्रेणी ग के कुल शहरों की संख्या यथोचित स्तर तक रखी जाएगी ।

शहरी सुधार

शहरी सुधारों में शामिल हो सकते हैं :-

अनिवार्य सुधार

शहरी स्थानीय निकाय सुधार (यूएलबी स्तर पर)

i शहरी स्थानीय निकायों में आधुनिक, अकुशल आधारित लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाना;

ii शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए जीआईएस और एमआईएस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ई प्रशासन प्रणाली शुरू करना;

iii जीआईएस के माध्यम से संपत्ति कर में सुधार करना ताकि यह शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन सके तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था करना ताकि मिशन अवधि के भीतर संचयन क्षमता न्यूनतम 85 प्रतिशत तक पहुंच जाए;

iv शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल द्वारा इस उद्देश्य से उपयुक्त उपभोक्ता प्रभार लगाना ताकि प्रचालन और अनुरक्षण की पूरी लागत या आवर्ती लागत की वसूली मिशन अवधि के भीतर हो जाए। तथापि, पूर्वोत्तर के नगरों / कस्बों तथा अन्य विशेष श्रेणी राज्यों में प्रारंभ में ही प्रचालन और अनुरक्षण प्रभारों की न्यूनतम 50 प्रतिशत वसूली के लिए चरणबद्ध ढंग से तैयार किया जाना चाहिए।

v शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय निकाय बजट में आंतरिक निर्धारण ।

vi शहरी गरीबों के लिए किफायती कीमतों में टेन्योर की सुरक्षा सहित बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, बेहतर आवास, जल आपूर्ति, सफाई और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की पहले से विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना ।

राज्य स्तर पर सुधार

(i) चौहतरवें संविधान संशोधन की संकल्पना के अनुरूप विकेन्द्रीकरण, उपायों का कार्यान्वयन । राज्यों को, पैरा स्टेटल कार्यों के निर्धारण की योजना बनाने के साथ-साथ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में यू.एल.बी. की अर्थपूर्ण संबद्धता/नियोजन सुनिश्चित करना चाहिए ।

(ii) स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाना ताकि मिशन अवधि में इसे कम करके 5% तक लाया जा सके।

(iii) नागरिक सहभागिता को मान्यता देने के लिए समुदाय सहभागिता कानून पारित करना और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा संकलपना को शुरू करना ।

(iv) निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को "नगर नियोजन कार्य" देना अथवा इससे सहयोजित करना। पांच वर्षों की अवधि में शहरी क्षेत्रों में सिविक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सभी विशेष एजेंसियों को शहरी स्थानीय निकायों के पास अंतरित करना और अन्तवर्ती अवधि में सभी शहरी सिविक सेवा दाताओं की जिम्मेदारी ठहराने की व्यवस्था करना ।

वैकल्पिक सुधार

(i) शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम का निरसन ।

(ii) किराया नियंत्रण में सुधार तथा मकान मालिकों व किरायेदारों के हितों में संतुलन बनाना ।

(iii) स्थानीय शहरी निकायों की मध्यावधि वित्तीय योजना की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रकटीकरण कानून पारित करना तथा सभी पणधारियों को तिमाही निष्पादन सूचना जारी करना।

(iv) भवनों के निर्माण, स्थलों के विकास आदि के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु उप नियमों में संशोधन ।

(v) कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों हेतु परिवर्तित करने के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक कार्यढांचों का सरलीकरण ।

(vi) शहरी स्थानीय निकायों में संपदा स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रणाली शुरू करना ।

(vii) क्रोस सब्सिडाइजेशन प्रणाली के साथ ई डब्ल्यू एस/ एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवास परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी एजेंसियों दोनों) में विकसित भूमि का कम से कम 20-25% निर्धारित करना ।

(viii) भूमि और संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया शुरू करना ।

(ix) भविष्य में बनाने वाले सभी भवनों में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाने और जल संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए उप नियमों का संशोधन ।

(x) रीसाइकल्ड पानी का पुनः उपयोग करने के लिए उप नियम ।

(xi) प्रशासनिक सुधार अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमें शुरू करके, सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुए पदों को न भरकर आदि के जरिए स्थापना में कटौती करना तथा इस संबंध में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करना ।

(xii) संरचनात्मक सुधार ।

(xiii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना ।

टिप्पणीः- राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को सभी अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधारों का कार्यान्वयन मिशन की अवधि के भीतर ही करना होगा । राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम दो वैकल्पिक सुधारों का चयन करना होगा । विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में उन सुधारों के विवरण भी सम्मिलित किये जाने चाहिए जिन्हें पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है तथा/ अथवा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है।

****

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के दिशानिर्देश

दिसंबर, 2005

1. प्रस्तावना

1.1 एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम का लक्ष्य उन शहरी स्लमवासियों, जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं है तथा जो जीर्ण-शीर्ण दशाओं में रहते हैं, की दशाओं में सुधार करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने हेतु मौजूदा "वाम्बे" तथा एन एस डी पी स्कीमों को नयी आई एच एस डी पी स्कीम के तहत मिलाना है ।

1.2 यह स्कीम जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के तहत शामिल किए गए शहरों/कस्बों को छोड़कर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सभी शहरों/कस्बों के लिए लागू है ।

1.3 इस स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास तथा अवस्थापनात्मक विकास में सरकारी एवं निजी निवेश को बढ़ाना है ।

2. लक्ष्य

इस स्कीम का बुनियादी लक्ष्य चुने गये शहरी क्षेत्रों के स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराते हुए स्वस्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण वाले स्लमविहीन शहरों के लिए प्रयास करना है ।

3. व्याप्ति

3.1 यह स्कीम जे एन एन यू आर एम के तहत शामिल किये गये शहरों/कस्बों को छोड़कर सभी शहरों/कस्बों में लागू होगी । सामूहिक दृष्टिकोण के साथ समुदाय के सभी भागों के स्लमवासी इस स्कीम के तहत लक्ष्य समूह हैं ।

3.2 राज्यों के बीच धनराशि का नियतन देश की कुल शहरी स्लम आबादी की तुलना में राज्यों की शहरी स्लम आबादी के आधार पर किया जाता है ।

3.3 राज्य इसी सूत्र के आधार पर कस्बों/शहरों को धनराशि का नियतन कर सकते हैं । तथापि, धनराशि केवल उन्हीं कस्बों तथा शहरों को दी जाएगी जहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके हैं तथा निर्वाचित निकाय कार्यरत हैं ।

3.4 राज्य सरकारें नगरों और शहरों की आवश्यकता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दे सकती हैं । नगरों को प्राथमिकता देते समय राज्य स्लम आबादी और जटिल क्षेत्रों की मौजूदा अवस्थापना, आर्थिक और सामाजिक रूप से अलाभप्रद वर्गों को ध्यान में रखेंगे ।

4. घटक

4.1 इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता के लिए घटकों में आवासों के उन्नयन/नए निर्माण तथा जल आपूर्ति और सीवरेज जैसी अवंसरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था सहित सभी स्लम सुधार/उन्नयन/पुनर्स्थापना परियोजनाएं शामिल होंगी । ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि की कीमत इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं दी जायेंगी तथा यह राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी ।

4.2 भूमि का स्वामित्व

भूमि का स्वामित्व बेहतर होगा यदि पत्नी के नाम से हो तथा विकल्प के रूप में पति और पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए । आपवादिक मामलों में, पुरूष लाभार्थी के नाम में भूमि के स्वामित्व की अनुमति दी जा सकती है ।

4.3 ए एण्ड ओ ई

परियोजना रिपोर्टें तैयार करने तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए ए एण्ड ओ ई उद्देश्य हेतु स्कीम के अन्तर्गत धनराशि के कुल आबंटन का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेन्सियों के बीच बांटा जा सकता है ।

4.4 रिहायशी ईकाइयों के लिए अधिकतम लागत जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के अन्तर्गत शामिल शहरों को छोड़कर 80,000 रू0 प्रति इकाई की दर से होगी । तथापि, अधिकतम लागत सीमा की एक वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी ।

विशेष श्रेणी /पर्वतीय राज्यों तथा दुरूह व दुरस्थ इलाकों के लिए प्रति रिहायशी इकाई की निर्धारित अधिकतम लागत सीमा से अधिक केवल 12.5% की वृद्धि की अनुमति होगी ।

4.5 लाभार्थियों का चयन

सूडा/डूडा/शहरी स्थानीय निकायों/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सरकारी नोडल एजेन्सी द्वारा ।

4.6 रिहायशी इकाई का नयूनतम फर्शी क्षेत्र

25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए और इसमें अधिमानतः दो कमरें, रसोईघर और शौचालय बने होने चाहिए ।

4.7 स्लमों में अवस्थापना विकास और रख रखाव

स्कीम के तहत सृजित सार्वजनिक परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को अलग से प्रावधान करना चाहिए ।

4.8. लाभार्थी का अंशदान

राज्य सरकारों द्वारा लाभार्थियों को मुफ्त मकान उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिए और लाभार्थी का अंशदान कम से कम 12% होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग /अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग तथा अन्य कमजोर वर्गों के मामले में लाभार्थी का अंशदान 10% होना चाहिए।

4.9. स्वीकार्य संघटक

(i) उन्नयन और नए मकानों के निर्माण सहित आश्रय उपलब्ध कराना ।

(ii) सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराना ।

(iii) जलापूर्ति, बरसाती पानी की नालियां, सामुदायिक स्नानघरों, मौजूदा गलियों को चौड़ा करना और पक्का करना, सीवर, सामुदायिक शौचालयों, सड़क पर बिजली आदि जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(iv) स्कूल पूर्व शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, मनोरंजन संबंधी गतिविधियों आदि के लिए सामुदायिक केन्द्रों जैसी सामुदायिक अवसंरचना ।

(v) सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।

(vi) स्कूल पूर्व शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, टीकाकरण सहित प्रसूति, बाल स्वास्थ्य तथा प्राथमिक चिकित्सा, जैसी सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(vii) मॉडल निदर्शी परियोजनाओं का प्रावधान ।

(viii) ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी.वर्गों के लिए सस्ती कीमतों पर स्थल और सेवायें/मकान उपलब्ध कराना ।

(ix) स्लम सुधार और पुनर्वास परियोजनायें

(x) पूर्वोत्तर राज्यों तथा पर्वतीय राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू तथा कश्मीर में योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के अलावा भूमि अधिग्रहण की लागत का वित्त पोषण नहीं किया जाएगा ।

नोटः विशिष्ट परियोजना संघटकों, यथा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा सहित आईएचएसडीपी के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को डीपीआर तैयार करनी होगी । तथापि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा की स्कीम का वित्तपोषण, स्कीमों का मिलाकर तथा संबंधित क्षेत्रों (स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम, इत्यादि) के कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा लेकिन शहरी गरीबों के संबंध में शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा भी मानीटरिंग की जाएगी ।

4.10 इस स्कीम में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित जिन उद्देश्यों की उपलब्धता की संकल्पना की गयी है, उनसे जुड़े अन्य क्षेत्रीय और विभागीय राज्य कार्यक्रमों के साथ इस स्कीम को शामिल किया जा सकता है ।

5. वित्तपोषण पद्धति

5.1 केन्द्र सरकार और राज्य सरकार यूएलबी/पैरा स्टेटल के बीच 80:20 के अनुपात में निधि का बंटवारा किया जाएगा । राज्य/कार्यान्वयन एजेंसियां अपने संसाधनों या वित्तीय संस्थाओं से अपना अंशदान जुटा सकती है ।

5.2 विशेष श्रेणी वाले राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर के लिए केन्द्र तथा राज्य के बीच वित्त पोषण पद्धति 90:10 के अनुपात में होगी ।

5.3 एम पी एल ए डी/एम एल ए एल ए डी से धनराशि का उपयोग परियोजना लागत के लिए किया जा सकता है और राज्य के अंशदान का उस सीमा तक उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। तथापि एमपीएलएडी/एमएलएएलएडी धनराशि लाभार्थी अंशदान के स्थान पर नहीं होगी ।

5.4 स्कीम का कार्यान्वयन राज्य स्तरीय नामित नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा ।

5.5. यदि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना धनराशि उपलब्ध हो तो इसे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के

माध्यम से राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों/वित्त संस्थानों द्वारा अंशदान के रूप में राज्य सरकार को दिया जा सकता है ।

6. केन्द्रीय सहायता जारी करना

6.1 जारी की गई केन्द्रीय सहायता (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा चुनी गई नोडल एजेंसियों को सीधे ही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाएगी ।

6.2 नोडल एजेंसी को केन्द्रीय अंश जारी किया जाना राज्य अंश उपलब्धता के अनुसार और सामान्य वित्त नियमावली (जी एफ आर) के प्रावधानों के अनुसरण में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करेगा।

6.3 धनराशि जारी करने का मानदंड इस प्रकार हैं :-
केन्द्रीय अनुदान की पात्रता के लिए राज्य के अंश को अलग खाते में जमा कराया जाए । राज्य के अंश के सत्यापन के बाद राज्य नोडल एजेंसी को केन्द्रीय अनुदान का 50% दिया जाएगा और यह राशि त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर दी जाएगी । प्रगति के आधार पर दूसरी किश्त रिलीज की जाएगी ।

7. प्रोत्साहन

7.1 जिन कार्यों के लिए प्रोत्साहन मांगा गया है, उनके कार्यान्वयन की स्थिति का पर्याप्त मूल्यांकन करने के बाद केन्द्रीय स्वीकृति समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकतम 10% तक अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान की स्वीकृत/सिफारिश कर सकती है जैसा कि नीचे बताया गया है:-

- नवीनतम तरीके अपनाने तथा प्रमाणित व उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के लिए.
- सूचना, शिक्षा तथा संचार के लिए (आईईए)
- परियोजना/स्कीम से संबंधित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए
- विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए
- परियोजना को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए

8 राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी

8.1 राज्य सरकार स्कीम कार्यान्वित करने के लिए किसी पहले से मौजूद संस्था को नोडल एजेंसी मनोनीत कर सकती है ।

8.2 नोडल एजेंसी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:-

(i) शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करना ।

(ii) एजेंसियों में उपलब्ध विशेषज्ञों अथवा आऊटसोर्सिंग के माध्यम से बाहरी एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना ।

(iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त धनराशि का प्रबन्धन करना ।

(iv) दिशानिर्देशों में दी गयी वित्तपोषण रूपरेखा के अनुसार धनराशि का संवितरण करना ।

(v) जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार उपयोग प्रमाणपत्र और वास्तविक व वित्तीय प्रगति की तिमाही रिपोर्टें शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय को भेजना ।

(vi) शहरी स्थानीय निकायों और कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गई धनराशि के लेखा परीक्षित लेखों का रख-रखाव ।

9. परियोजना मूल्यांकन

9.1 शहरी स्थानीय निकाय तथा कार्यान्वयन एजेंसियां नामित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेंगी ।

9.2 राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी राज्य स्वीकृति समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति, जैसा भी मामला हो, के विचारार्थ शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को भेजेंगी ।

10. राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस एल सी सी)

10.1 राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन पर राज्यों द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

10.2 राज्य स्तरीय समन्वय समिति निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेगीः-

क. मूल्यांकन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टों की जांच तथा अनुमोदन ।

ख. स्वीकृत परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर मानीटरिंग जिसमें वित्तीय संस्थानों से धनराशि जुटाना भी शामिल है ।

ग. योजना के व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप ही शुरू किये जाते हैं ।

घ. शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शुरू किये जा रहे शहरी सुधारों की प्रगति की समीक्षा ।

10.3 राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी हो सकती है, किन्तु चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने व नयी परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए तिमाही बैठक की जायेंगी ।

11. केन्द्रीय स्वीकृति समिति

11.1 केन्द्रीय स्वीकृति समिति (सी एस सी) का गठन वाम्बे स्कीम के अनुसार होगा जो कि इस प्रकार हैः-

(i)	सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	-	अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त सचिव (श.रो. और ग.उपशमन)	-	सदस्य
(iii)	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार	-	सदस्य
(iv)	संयुक्त सचिव (यू डी)	-	सदस्य
(v)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हडको	-	सदस्य
(vi)	निदेशक (यू पी ए)	-	संयोजक

11.2 केन्द्रीय स्वीकृति समिति राज्य स्तरीय समन्वय समिति की सिफारिशों पर राज्य नोडल एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत आवास और अवस्थापना विकास संबंधी आवास एवं समेकित परियोजनाओं से संबंधित परियोजनाओं की जांच और अनुमोदन प्रदान करेगी ।

11.3 राज्य स्तरीय समन्वय समिति स्लम वासियों को केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, अवस्थापना के सुधार से संबंधित परियोजनाओं की जांच और अनुमोदन प्रदान करेगी ।

12. सुधारों का कार्यसूची

शहरी गरीबों (बीएसयूपी) को बनुयादी सेवाएं प्रदान करने सहित शहरी नवीकरण की संशोधित रणनीति का मुख्य ध्यान शहरी शासन में सुधार सुनिश्चित करना है ताकि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा पैरा स्टेटल एजेन्सीज वर्धित क्रेडिट रेटिंग के साथ आर्थिक रूप से मजबूत हों और नयी परियोजनाओं को प्रारंभ करने तथा सेवाओं के विस्तर के लिए मार्केट कैपिटल तक पहुँचने में सक्षम हो । इस सुधरे वातावरण में, विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक -निजी सहभागिता मॉडल भी व्यवहारिक हो जाएंगें । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों तथा पैरा -स्टेटल एजेन्सियों को सुधाओं की कार्यसूची के कार्यान्वयन को स्वीकार करना होगा । प्रस्तावित सुधार मोटे तौर पर दो श्रेणियों में होंगे :-

(i) अनिवार्य सुधार
(ii) ऐच्छिक सुधार

निवार्य तथा ऐच्छिक सुधारों की सूची **अनुलग्नक** पर है ।

नेशनल स्टीयिरिंग ग्रुप स्थापित सुधारों में अतिरिक्त सुधारों को शामिल कर सकता है ।

राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों तथा पैरा स्टेटल एजेंसियों को सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की वचनबद्धता हेतु भारत सरकार के साथ मेमोरेडम आफ एग्रीमेन्ट (एमएओ) निष्पादित करना होगा । एमएओ में सुधार को प्रत्येक मद के ए प्राप्त करने के लिए इस त्रिस्तरीय एम ए ओ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक शर्त होगी ।

13 मानीटरिंग

- शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए इस मंत्रालय के नामित अधिकारी के माध्यम से योजना की समय समय पर मानीटरिंग करेगा।
- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजेगी ।
- राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एस एल सी सी)/सीएससी कार्यक्रम के तहत स्वीकृत विभिन्न परियोजनओं की तिमाही मानीटरिंग सुनिश्चित करेगी ।

14. प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण

योजना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और दक्षता उन्नयन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें लगातार प्रयास करेंगी । राज्य सरकार इस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से उपयुक्त प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी । इन्हें कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा ।

15. विविध

15.1 सृजित परिसंपत्तियों की सूची रखना और सृजित परिसंपत्तियों व सुविधाओं का रखरखाव तथा परिचालन करना शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वयन एजेंसियों का दायित्व होगा ।

15.2 शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वयन एजेंसी स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि की प्राप्ति और खर्च के लिए किसी वाणिज्यिक बैंक में प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से एक बैंक खाता खोलना होगा । शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्यन एजेंसियां केन्द्रीय तथा राज्य अंश और वित्तीय संस्थानों से ऋण के संबंध में धनराशि के उपयोग के लिए अलग अलग रजिस्टर रखेंगे ।

15.3 नोडल एजेंसी योजना के तहत संस्थान वार तथा परियोजना वार खाते रखेंगी ।

15.4 2001-2002 से लेकर पिछले पांच वर्षों के दौरान वाम्बे के अंतर्गत चालू स्कीमों का वित्त पोषण उनके समाप्त होने तक वाम्बे के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ही जारी रहेगा । इसके लिए अतिरिक्त जब तक आई एच एस डी पी स्कीम नहीं लागू की जाती है वाम्बे के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 के लिए नये प्रस्ताव स्वीकार किये जा सकते हैं ।

15.5 शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के परामर्श से योजना के प्रक्रियारत रहते वित्त प्रबंध को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के अलावा योजना दिशा-निर्देशों में परिवर्तन यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है तो कर सकता है ।

****

शहरी सुधार

शहरी सुधारों में शामिल हो सकते हैं :-

अनिवार्य सुधार

शहरी स्थानीय निकाय सुधार (यूएलबी स्तर पर)

i) शहरी स्थानीय निकायों में आधुनिक, अकुशल आधारित लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाना;
ii) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए जीआईएस और एमआईएस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ई प्रशासन प्रणाली शुरू करना ;
iii) जीआईएस के माध्यम से संपत्ति कर में सुधार करना ताकि यह शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन सके तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था करना ताकि मिशन अवधि के भीतर संचयन क्षमता न्यूनतम 85 प्रतिशत तक पहुंच जाए ;
iv) शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल द्वारा इस उद्देश्य से उपयुक्त उपभोक्ता प्रभार लगाना ताकि प्रचालन और अनुरक्षण की पूरी लागत या आवर्ती लागत की वसूली मिशन अवधि के भीतर हो जाए। तथापि, पूर्वोत्तर के नगरों / कस्बों तथा अन्य विशेष श्रेणी राज्यों में प्रारंभ में ही प्रचालन और अनुरक्षण प्रभारों की न्यूनतम 50 प्रतिशत वसूली के लिए चरणबद्ध ढंग से तैयार किया जाना चाहिए।
v) शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय निकाय बजट में आंतरिक निर्धारण ।
vi) शहरी गरीबों के लिए किफायती कीमतों में टेन्योर की सुरक्षा सहित बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, बेहतर आवास, जल आपूर्ति, सफाई और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की पहले से विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना ।

राज्य स्तर पर सुधार

i) चौहतरवें संविधान संशोधन की संकल्पना के अनुरूप विकेन्द्रीकरण, उपायों का कार्यान्वयन। राज्यों को, पैरा स्टेटल कार्यों के निर्धारण की योजना बनाने के साथ-साथ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में यू.एल.बी. की अर्थपूर्ण संबद्धता/नियोजन सुनिश्चित करना चाहिए ।
ii) स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाना ताकि मिशन अवधि में इसे कम करके 5% तक लाया जा सके।
iii) नागरिक सहभागिता को मान्यता देने के लिए समुदाय सहभागिता कानून पारित करना और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा संकलपना को शुरू करना ।
iv) निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को "नगर नियोजन कार्य" देना अथवा इससे सहयोजित करना। पांच वर्षों की अवधि में शहरी क्षेत्रों में सिविक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सभी विशेष एजेंसियों को शहरी स्थानीय निकायों के पास अंतरित करना और अन्तवर्ती अवधि में सभी शहरी सिविक सेवा दाताओं की जिम्मेदारी ठहराने की व्यवस्था करना ।

वैकल्पिक सुधार

(i) शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम का निरसन
(ii) किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार तथा मकानमालिकों व किरायेदारों के हितों में संतुलन बनाना ।
(iii) शहरी स्थानीय निकायों की मध्यावधि वित्तीय योजना की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रकटीकरण कानून पारित करना तथा सभी पणधारियों को तिमाही निष्पादन सूचना जारी करना ।
(iv) भवनों के निर्माण, स्थलों के विकास आदि के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु उप नियमों में संशोधन
(v) कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों हेतु परिवर्तित करने के लिए काननी और प्रक्रियात्मक कार्य ढांचों का सरलीकरण
(vi) शहरी स्थानीय निकायों में संपदा स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रणाली शुरू करना ।
(vii) क्रोस सब्सिडाइजेशन प्रणाली के साथ ई डब्ल्यू एस/एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवास परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी एजेंसियों, दोंनों) में विकसित भूमि का कम से कम 20-25 प्रतिशत निर्धारित करना ।
(viii) भूमि और संपत्ति के पंजीकरण की कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया शुरू करना ।
(ix) भविष्य में बनने वाले सभी भवनों में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाने और जल संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए उप नियमों का संशोधन ।
(x) रिसाइक्लड जल का पुनः उपयोग करने के लिए उप नियम
(xi) प्रशासनिक सुधार अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमें शुरू करके, सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुए पदों को न भरकर स्थापना में कटौती करना तथा इस संबंध में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करना ।
(xii) संरचनात्मक सुधार
(xiii) सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना ।

टिप्पणीः राज्यों/ शहरी स्थानीय निकायों को अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधारों का कार्यान्वयन मिशन की अवधि के भीतर ही करना होगा । राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम दो वैकल्पिक सुधारों का चयन करना होगा । विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में उन सुधारों के विवरण भी सम्मिलित किये जाने चाहिए जिन्हें पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है अथवा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

****

जे.एन.एन.यू.आर.एम.